संख्या-589/2020/907/22-2-2020-17(75)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 दिसम्बर, 2020***

विषय:-आजीवन कारावास से दण्डित बन्दियों की प्रत्येक गणतन्त्र दिवस (26 जनवरी, 2020) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी खलील पुत्र श्री इसराइल, निवासी जनपद-देवरिया की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24558/प्रोवेशन-6/147/26जनवरी,2020, दिनांक 05.10.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आजीवन कारावास से दण्डित केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी खलील पुत्र श्री इसराइल, ग्राम-बतरौली, थाना-बनकटा, जनपद-देवरिया का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 03.09.2005 को अपने 01 अभियुक्त के साथ मिलकर संजय तथा उसके भाई सहदेव पर कट्टा व लाठी डण्डा से वार कर दोनों को घायल कर दिया, इलाज के दौरान संजय नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-19/2006 में भा0द0वि0 की धारा- 302/34, 307/34, 504, 506 व एस0सी0/एस0टी0 एक्ट की धारा-3(2)(5) के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), कक्ष सं0-3, देवरिया के आदेश दिनांक 27.02.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया तथा धारा-3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट, गोरखपुर के आदेश दिनांक 03.02.2011 द्वारा 05 वर्ष 04 माह के सश्रम कारावास एवं रू0-5000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 26.01.2020 तक 14 वर्ष 04 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष 00 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता, बन्दी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा-3(2)(5) के अन्तर्गत दण्डित किये जाने एवं उक्त अधिनियम, 1989 की विषयवस्तु " भारत का संविधान " के अनुच्छेद 246 के अन्तर्गत सातवीं अनुसूची की सूची-**III**, समवर्ती सूची व सूची-**II** राज्य सूची में उल्लिखित प्रविष्टियों में से किसी भी प्रविष्टि के अन्तर्गत न आने की दशा में, सूची-1 संघ सूची में उल्लिखित प्रविष्टि 97(संसद की अवशिष्ट विधायी शक्तियों) के अन्तर्गत विधि निर्मित करने की शक्ति मात्र संसद को प्राप्त होने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा सिद्धदोष बन्दी खलील पुत्र श्री इसराइल को **रिहा किये जाने** की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी खलील (बन्दी संख्या-167/2014) पुत्र श्री इसराइल, निवासी जनपद-देवरिया की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-589/2020/907(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in